



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 अग्रहायण 1942 (श0)

(सं० पटना 917) पटना, वृहस्पतिवार, 26 नवम्बर 2020

fuokipu foHkx

vf/k l puk

26 नवम्बर 2020

सं० बी1-3-147/2020-77 बिहार राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित होने वाले राज्य सभा सदस्य के लिए राज्य सभा उप-चुनाव, 2020 से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की निर्वाचन कार्यक्रम की अधिसूचना संख्या-100/रा.स.-बिहार/06/2020(1) दिनांक 26.11.2020 एवं निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी की अधिसूचना संख्या-100/रा.स.-बिहार/06/2020(2) दिनांक 26.11.2020 (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मिथिलेश कुमार साहु,
संयुक्त सचिव-सह-
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार ।

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001, दिनांक: 26 नवम्बर 2020/

अग्रहायण 05, 1942 (शक)

सं. 100/रा.स.-बिहार/06/2020(1) यतः, बिहार राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा में निर्वाचित श्री राम विलास पासवान का स्थान जिनकी पदावधि 02.04.2024 सहित उस तारीख तक थी के समाप्त होने से पूर्व उनका निधन होने के कारण 08.10.2020 से रिक्त हो गया है; और

यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराना है;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 147, धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा-

(अ) बिहार राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे 16 दिसम्बर, 2020 से पूर्व तथा उक्त अधिनियम और तद्दीन बनाए गए नियमों और उनके तहत जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

(आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में:-

- (क) नाम निर्देशित करने की अन्तिम तारीख – 03 दिसम्बर, 2020 (गुरुवार);
- (ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख – 04 दिसम्बर, 2020 (शुक्रवार);
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख – 07 दिसम्बर, 2020 (सोमवार);
- (घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक – 14 दिसम्बर, 2020 (सोमवार);
हुआ तो मतदान होगा

और

- (ड.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन – 16 दिसम्बर, 2020 (बुधवार);
सम्पन्न करा लिया जाएगा

नियत करता है; और

(इ) 9:00 बजे पूर्वाह्न से 4:00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में नियत करता है जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो, विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,

सुमन कुमार दास,

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग ।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi - 110001 Dated: 26th November, 2020

Agrahayana 05, 1942 (Saka)

No. 100/CS-BR/06/2020(1): - WHEREAS, the seat of Shri Ram Vilas Paswan, in the Council of States, elected by the elected members of the Legislative Assembly of Bihar, has become vacant on 08.10.2020 by the reason of his death, before the expiration of his term of office which was up to and including 02.04.2024; and

WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 147, sub-section (1) of Section 39 and Section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

- (A) **calls upon** the elected members of the Legislative Assembly of Bihar to elect, before 16th December, 2020 and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Council of States;
- (B) **appoints**, with respect to the said election;
 - (a) the 03rd December, 2020 (Thursday), as the last date for making nominations;
 - (b) the 04th December, 2020 (Friday), as the date for the scrutiny of the nominations;
 - (c) the 07th December, 2020 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
 - (d) the 14th December, 2020 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
 - (e) the 16th December, 2020 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed; and
- (C) **fixes the hours** from **09:00 am to 04:00 pm**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

SUMAN KUMAR DAS,

Secretary to the Election

Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001, दिनांक: 26 नवम्बर 2020/
अग्रहायण 05, 1942 (शक)

सं. 100/रा.स.-बिहार/06/2020(2)- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम् 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में और धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, बिहार राज्य सरकार के परामर्श से एतद्वारा तारीख 26 नवम्बर, 2020 को राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आयोग की अधिसूचना के अनुसरण में इस राज्य से राज्य सभा के लिए होने वाले उप निर्वाचन के संबंध में एतद्वारा-

- (I) नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है; और
- (II) उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करता है।

सारणी

रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित अधिकारी	सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी
(1)	(2)
श्री संजय कुमार अग्रवाल, आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना	1. श्री धीरेन्द्र कुमार झा, उप निदेशक, खाद्य, पटना प्रमंडल, पटना 2. श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, अपर समाहर्ता, पटना 3. श्री भूदेव राय, निदेशक, बिहार विधान सभा, पटना

आदेश से,
सुमन कुमार दास,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग ।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi - 110001 Dated: 26th November, 2020 Agrahayana 05, 1942 (Saka)

No. 100/CS-BR/06/2020(2): - In pursuance of Section 21, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India, in consultation with the Government of the State of Bihar, hereby-

- (i) designates the officer, specified in column (1) of the TABLE below, to be the Returning Officer; and
- (ii) appoints the officers, specified in column (2) of the said TABLE, to be the Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer in the performance of his functions;

in respect of the bye-election to the Council of States, to be held in the State in pursuance of the Commission's Notification, published in the Gazette of India on 26th November, 2020: -

TABLE

Officer Designated as Returning Officer	Officer Appointed as Assistant Returning Officer
(1)	(2)
Shri Sanjay Kumar Agrawal, Commissioner, Patna Division, Patna.	1. Shri Dhirendra Kumar Jha, Food, Deputy Director, Patna Division, Patna. 2. Shri Rajeev Kumar Srivastava, Additional Collector, Patna. 3. Shri Bhudev Rai, Director, Bihar Legislative Assembly, Patna

By order,
SUMAN KUMAR DAS,
*Secretary to the Election
Commission of India.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 917-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>